न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट
जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती रक्षा पारीक आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 132/2013
किस्म :– **प्रार्थना–पत्र**
दायर दिनांक : 11.09.2013

निर्णय दिनांक : 09.05.2024

अनवान

1–भज्जेसिंह पिता नारू जाति रावणा राजपूत निवासी गोवल, तहसील आमेट जिला राजसमंद मृतक के बजाय विधिक वारिशान श्री मोहनसिंह पिता केसरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी गोवल, तहसील आमेट जिला राजसमंद

.....**प्रार्थी**

बनाम

1–मदनसिंह पिता गणपतसिंह जाति राजपूत
2–नाहरसिंह पिता नाथुसिंह जाति राजपूत
3–नरपतसिंह पिता नाथुसिंह जाति राजपूत
4–गणपतसिंह पिता नाथुसिंह जाति राजपूत
5–लक्ष्मणसिंह पिता भोपालसिंह जाति राजपूत
6–भगवतसिंह पिता दीपसिंह जाति राजपूत
निवासी गोवल, तहसील आमेट जिला राजसमंद
7–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब आमेट जिला राजसमंद

.....**विपक्षी**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता

प्रार्थी की ओर से :– **अधिवक्ता किशनलाल शर्मा**
विपक्षी की ओर से :– **अधिवक्ता प्रमोद लक्षकार**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया प्रार्थी की माता श्रीमती फेफी पत्नी रूपा जाति दरोगा राजपूत निवासी गोवल, तहसील आमेट को सेटलमेन्ट से पूर्व ग्राम गोवल पटवार हल्का गोवल, तहसील आमेट के साबिक आराजी नं. 509 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा एवं आराजी नं. 394 व 375 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि श्रीमान् सब डिविजनल ऑफिसर, राजसमंद द्वारा जरिये मिसल नं. 482/77 दिनांक 17.10.1977 से आवंटित की गई। उक्त 5 बीघा जमीन आवंटन के पश्चात् नियमानुसार मौके पर भूमि नाप कर प्रार्थी की माता श्रीमती फेफी को कब्जा सिपुर्द किया गया एवं आवंटन से लेकर प्रार्थी की माता एवं प्रार्थी की माता के स्वर्गवास के पश्चात् प्रार्थी काबिज होकर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

उपयोग उपभोग कर रहा है। भूमि को काबिल काश्त करने में प्रार्थी की माता व प्रार्थी ने हजारो रूपये व्यय किए है। सेटलमेन्ट से पूर्व साबिक आराजी नं. 509 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा एवं आराजी नं. 394 व 375 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा के नए आराजी नम्बर 819, 820, 821, 1040 व 1041 बने है। जिस पर प्रार्थी काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। प्रार्थी की माता के अनपढ होने की वजह से सेटलमेन्ट के समय साबिक आराजी नं. 509, 394, 375 रकबा 5 बीघा भूमि को न जाने किस वजह से प्रार्थी की माता को आवंटित भूमि बिलानाम दर्ज की गई, जो मात्र कानूनी भूल हुई है। पटवारी हल्का द्वारा बताए जाने पर जानकारी हुई। प्रार्थी ने मौके पर पटवारी हल्का से वास्तविक जानकारी कर नकल लेकर विपक्षी सं. 7 के कार्यालय में जाकर एवं राजस्व शिविरो में कई बार प्रार्थना पत्र दिया गया, परंतु प्रार्थी की माता को आवंटितशुदा भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज नहीं की गई, जिससे विपक्षीगण द्वारा कब्जा हटाने की धमकीयां देना शुरू कर दिया है, जिससे प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किग्ग जा रहा है, ताकि प्रार्थी की माता को आवंटितशुदा भूमि का प्रार्थी को खातेदार कृषक घोषित फरमाया जावे तथा मौके से बेदखल नही करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है। विपक्षी सं. 1 से 6 जबरण गुंडागर्दी के बल पर प्रार्थी को बेदखल करना चाहते है एवं प्रार्थी की भूमि को हडपना चाहते हैं एवं प्रार्थी की जमीन में जेसीबी मशीन से खड्डे खोद रहे है, जिससे विपक्षी संख्या 1 से 7 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः प्रार्थी की निम्न प्रार्थना है कि साबिक आराजी नं. 509 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा एवं आराजी नं. 394 व 375 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि जिसके वर्तमान आराजी नम्बर 819, 820, 821, 1040 व 1041 के संबंध में इस प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थी के उपयोग उपभोग में विपक्षी सं. 1 से 6 किसी प्रकार की बाधा, रूकावट हस्तक्षेप नहीं करे एवं न ही प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा करे एवं न ही यह कार्य अपने किसी रिश्तेदार ,नोकर, एजेन्ट, मजदूर आदि से करावे तथा विपक्षी सं. 7 एवं इनके मातहत कर्मचारी प्रार्थी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा, रूकावट नहीं करे इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित फरमाई जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी अधिवक्ता ने विपक्षी सं. 2 से 6 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने बाबत् आदेशिका पर हस्ताक्षर किए। विपक्षी सं. 01 के अधिवक्ता प्रमोद लक्ष्कार ने आदेशिका पर No Instruction अंकित किया जिससे उक्त के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन मे जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 की फोटोकॉपी व खसरा मिलान की प्रति प्रस्तुत की।

पत्रावली मे प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजियात सेटलमेंट से पूर्व श्रीमान् सब डिविजनल ऑफिसर, राजसमंद द्वारा जरिये मिसल नं. 482/77 दिनांक 17.10.1977 द्वारा प्रार्थी की माता को आवंटित की गई थी, परंतु उक्त आवंटित भूमि किसी वजह से बिलानाम दर्ज की गई जो मात्र कानूनी भूल हुई है। आवंटितशुदा भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज नहीं की गई, जिससे विपक्षीगण द्वारा कब्जा हटाने की धमकीयां देना शुरू कर दिया है, विपक्षी जबरण गुंडागर्दी के बल पर प्रार्थी को बेदखल करना चाहते है एवं प्रार्थी की भूमि को हडपना चाहते हैं एवं प्रार्थी की जमीन में जेसीबी मशीन से खड्डे खोद रहे है, जिससे विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं प्रार्थना–पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। ग्राम गोवल पटवार हल्का गोवल, तहसील आमेट में स्थिति भूमि जिसके सेटलमेन्ट से पूर्व साबिक आराजी नं. 509 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा एवं आराजी नं.

न्यायालय सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी आमेट

394 व 375 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा के नए आराजी नम्बर 819, 820, 821, 1040 व 1041 भूमि के सम्बन्ध में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि विपक्षीगण उक्त वर्णित भूमि का मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहें।

(रक्षा पारीक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

निर्णय आज दिनांक **09.05.2024** को खुले न्यायालय मे आदेश सुनाया गया ।

(रक्षा पारीक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)